ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 315-317

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-III, Issues-18, YEAR- Dec. -2020

स्वरोजगारों की स्थापना में जनपद मैनपुरी में जिला उद्योग केन्द्रों की भूमिका

डॉ0 अखिल कुमार सक्सेना Email : drskpal.bog@gmail.com

Received- 28.10.2020, Revised- 01.11.2020, Accepted - 04.11.2020

सारांश– ***शिक्षित बेरोजगारी उन्मूलन के लिए निर्मित प्रधानमंत्री रोजगार योजना के सफल क्रियान्वयन में दो संस्थाएं– (1) जिला उद्योग केन्द्र (2) व्यापारिक बैंक अहम भूमिकाएं निभाती है। सहायक भूमिका के रूप में "जिला नियोजन केन्द्र" सहायतार्थ कार्य करता है। इस योजनान्तर्गत लाभान्वितों का "जिला नियोजन केन्द्र" पर पंजीकृत होना आवश्यक है। जिला उद्योग केन्द्र प्रायः उद्यतन प्रभावी परिनियमों के अनुसार अभ्यार्थियों के चयन में उद्योग, सेवा तथा व्यवसाय हेतु वर्गीकृत करते हैं। जिसमें आरक्षण का भी ध्यान रखते हैं। स्वीकृत योजनाओं की 30 प्रतिशत योजनाएं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए आरक्षित करते हैं। यहाँ तक वर्गीकृत के अनुसार उद्योग सेवा एवं व्यवसाय में पृथक–पृथक स्तर पर 30 प्रतिशत योजनाओं के आरक्षित होने के स्थान पर तीनों प्रकार की कुल योजनाओं का 30 प्रतिशत अंश इस वर्ग के लिए आरक्षित एवं सुरक्षित करता है।***

कुंजीभूत शब्द– जिला नियोजन केन्द्र, योजनान्तर्गत, नियोजन केन्द्र, पंजीकृत।

असिस्टेन्ट प्रोफेसर, समाजशास्त्र अनुसन्धान विभाग, नेशनल पी.जी. कालेज, भोगाँव, मैनपुरी, (उ0प्र0) भारत

अनुरूपी लेखक

शब्दों में तीनों उद्यमों में आरक्षित की प्रतिशतता भिन्न भिन्न हो सकती है। लेकिन 30 प्रतिशत (कुल) अवश्य सुनिश्चित करते हैं। जिला उद्योग केन्द्र प्रायः निम्न कार्य भी करती है–

1– आवेदन कर्ताओं को चुने जाने वाली योजना निर्मित करना।

2– यह सुनिश्चित करना कि परिवार का केवल एक ही अभ्यार्थी प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत लाभान्वित हो सकें।

3– लक्ष्यनुसार सुनिश्चिती करण प्रपत्रों को अग्रसारित करके प्रशिक्षण केन्द्रों (तत्सम्बन्धित आई0टी0आई0 अथवा पॉलिटैक्निक संस्थाओं) तक पहुँच पाना।

4– जनपद स्तरों पर टास्क फोर्स समिति कार्यकारी दल द्वारा किए जाने वाले साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के चयन में प्रदान करना एवं टास्क फोर्स के निम्नांकित सदस्यों को समयानुसार सूचित करना।

– शिक्षित बेरोजगार उपनियमों का चयन एवं उत्प्रेरण

– व्यापार तथा सेवा प्रतिष्ठानों एवं कुटीर व लघु उद्योगों का अभिज्ञान करना।

– उद्यमियों हेतु ऋणों की संस्तुति प्रदान करना।

– उद्यमियों के वित्त घोषणा की त्वरित निकासी करना।

– व्यवसायिक उद्यमों हेतु ऋण सीमा में परिवर्तन करना।

– जिला उद्योग केन्द्र औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान।

– लघु उद्योग सेवा संस्थान राजकीय पॉलीटैक्निक संस्था।

उपर्युक्त संगठनात्मक संरचना के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत जिन अभ्यार्थियों का चयन कर लिया जाता है। इनके द्वारा चुने गये उद्यम के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व भी राज्य सरकार के माध्यम से जिला उद्योग केन्द्र का ही होता है। जहाँ तक यंत्रों तथा संयंत्रों को उपलब्ध कराने का प्रश्न है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और प्रान्तीय इकाइयों द्वारा प्रदान कराए जाते हैं। भूमि, यंत्र, उपकरण, तथा शेड आदि के लिए जो ऋण की किस्ते प्रदान की जाती हैं, वे सम्पूर्ण पूँजी का प्रारूप होती है।

सचेतना प्रक्रिया– जिला उद्योग केन्द्र द्वारा सचेतन प्रक्रिया का कार्यान्वित जनपद स्तरों पर अलग–अलग क्षेत्रों के स्तर पर किया जाता है, यथा उद्योग रोजगार व्यापार आदि विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत सचेतन प्रक्रिया अपनायी जाती है। इससे सम्बन्धित मासिक सूचना, तत्सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र के अग्रसारित की जाती है और प्रगति आख्या की यह मासिक सत्यतायें उद्योग केन्द्र द्वारा "विकास आयुक्त" को प्रेषित की जाती है इसी प्रकार से उद्यम, रोजगार व्यापार इत्यादि सभी क्षेत्रों में पृथक–पृथक सूचनाएं निर्मित की जाती हैं। तथा जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से विकास आयुक्त तक पहुँचायी जाती है।

विकास आयुक्त कार्यालय से यह मासिक सूचनाऐं/आख्याएं समिति (टास्क फोर्स) के पास पुनरावलोकन के लिये प्रेषित की जाती है, जिसका चेयरमैन "जिला अधिकारी" होता है। इस समिति की बैठक महीने में एक बार अवश्य आयोजित की जाती है इस बैठक से पूर्व विकास आयुक्त के पास प्रत्येक महीने की 10 तारीख से पूर्व ही जिला उद्योग केन्द्र के प्रबन्धक द्वारा मासिक सूचना अनिवार्य प्रेषित की जाती है।

जिला उद्योग केन्द्रों की भूमिकाओं के दो प्रमुख धरातल होते हैं

क– प्रशिक्षण प्रदान करने में भूमिका–निर्वहन

ख– लाभार्थियों को लाभांश प्रदान कराना तथा ऋणों की अदायगी में सहायता

PIF-7.500 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*

ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-III, Issues-18, YEAR- Dec. -2020

करना।

प्रशिक्षण प्रदान करना— जिला नियोजन केन्द्र पर पंजीकृत शिक्षित बेरोजगार युवक—युवतियों से शासन के नियमों व निर्देशों का परिपालन करते हुए पूर्व—निर्धारित लक्ष्यानुसार तथा आवश्यकता के अनुरूप के चयन हेतु आवेदन पत्र में से लाटरी पद्धति से अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। तदुपरान्त आरक्षण पर ध्यान आकर्षित रखते हुए सूची निर्मित की जाती तत्पश्चात् "टास्क फोर्स समिति" को वह सूची अग्रसारित की जाती है। यह समिति अपनी संस्तुति "जिला परामर्श दात्री समिति" को उनके निम्न वर्णित उत्तरदायित्वों—

1— शिक्षित बेरोजगार उद्यमियों का चयन एवं उत्प्रेरण

2— व्यापार व सेवा प्रतिष्ठानों एवं लघु तथा कुटीर उद्योगों की जानकारी देना।

3— उद्यमों हेतु ऋणों की संस्तुति प्रदान करना।

4— वित्त पोषित की त्वरित निकासी करना।

के निर्वहन हेतु भेज देती है। यहाँ पर अभ्यार्थियों/लाभार्थियों को प्रशिक्षण के लिए जिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा पॉलीटैक्निक के पास भेज दिया जाता है। प्रशिक्षण पूर्ण कर लेने पर जिला उद्योग केन्द्र ही वित्तीय संस्थाओं/व्यापारिक बैंकों की सूची है

इस योजनान्तर्गत पूर्णरूपेण सरकारी सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है जिसका प्रतिशत उद्यमी को बैंक से प्राप्त होने वाले कुल ऋण का 25 प्रतिशत होता है परन्तु यह अनुदान बैंक से उस उद्यमी विशेष को तभी प्राप्त हो पाता है जब बैंक द्वारा उद्यमी को ऋण प्रदान कर दिया जाता है। वह अनुदान राशि उद्यमी के नाम से बैंक में सावधि जमा के रूप में जमा कर दी जाती है तथा इस राशि पर उद्यमी निर्धारित ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त करता है। यह ब्याज सावधि जमा की अवधि समाप्त होने पर प्राप्त होता है। कुल आवश्यकताओं की पूर्ति संयुक्त ऋण के रूप में प्रदान की जाती है जिस ऋण के 3/4 भाग की वसूली तथा शेष उद्यमी के नाम से जमा राशि द्वारा पूरा कर दिया जाता है इस प्रकार बैंक द्वारा जो भी सम्पत्ति का सृजन होगा उस अवधि तक गिरवी रख दिया जावेगा, जब तक कि ऋण दाता द्वारा श्रम की पूर्ण अदायगी नहीं कर दी जायेगी।

ब्याज दर संरचना एवं श्रमों की अदायगी पद्धति— प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत संयुक्त ऋण प्रणाली के अन्तर्गत क्षेत्र के आधार पर भिन्न—भिन्न ब्याज दरों का विधान है। विशिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित यह दर औद्योगिक उद्यमों पर 10 प्रतिशत वार्षिक तथा शेष अन्य क्षेत्रान्तर्गत यह दर 12 प्रतिशत निर्धारित की गयी है।

ऋणों की अदायगी का समय 7 वर्ष तक निर्धारित किया गया है, तथा इसे विभिन्न किस्तों में बांटा जाता है। ये किस्तें श्रम प्राप्ति के महीनों से लेकर 18 महीने मध्य कभी भी आरम्भ की जा सकती है जहाँ तक ऋण वसूली का संबंध है। इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व तत्सम्बन्धित बैंकों का होता है। बैंक प्रबन्धक को यह अधिकार होता है कि वे लाभान्वितों की परिस्थितियों के अनुरूप उनके ऋण की वसूली करें।

प्रशिक्षण प्रक्रम— ऐसे शिक्षित बेरोजगार जिनको लेखा तथा वित्तीय प्रबन्धन का ज्ञान होता है उन्हें औद्योगिक क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है परन्तु ऐसे शिक्षित बेरोजगार युवक जिन्हें उपकरण के चयन एवं प्रयोग का ज्ञान नहीं होता है उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता अवश्य होती है। ऐसे युवकों के लिये राज्य सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं पॉलीटैक्निक के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करती है जो जिला उद्योग केन्द्र और लघु उद्योग सेवा संस्थान आदि औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वय करते हैं।

योजनान्तर्गत जिन अभ्यार्थियों का चयन कर लिया जाता है उनके द्वारा चुने गये उद्यम के लिए व्यवस्था कराने का दायित्व राज्य सरकार के माध्यम से जिला उद्योग केन्द्रों का होता है। जहाँ तक यंत्रों, उपकरणो को उपलब्ध करने का प्रश्न है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और प्रान्तीय इकाइयों द्वारा प्रदान कराए जाते हैं। भूमि यंत्र सयंत्र शेड आदि के लिए जो ऋण की किस्ते प्रदान की जाती हैं वे सम्पूर्ण पूँजी का प्रारूप होती हैं।

सीमाएं एवं कठिनाइयाँ— योजनान्तर्गत लाभान्वित युवको को ऋण प्राप्त करने में प्रायः विलम्ब हो जाता, क्योंकि चाहे राजकीय शिक्षा उद्योग केन्द्र संस्थान हो अथवा बैंक दोनो ही संस्थाओं के कार्य दोषपूर्ण है इसी कारण लाभान्वितों युवक परेशान रहते हैं। ऋण विलम्ब के मुख्यतः दो स्थल हैं:—

1— जिला उद्योग केन्द्र

2— बैंक

	क्रमांक	अनुसूचित जाति	पिछड़ी जाति	उच्च जाति	मुस्लिम जाति	कुल
जिला उद्योग केन्द्र	1	2 (18.18)	3 (27.27)	6 (54.54)	–	11 (5.5)
	2	–	1 (50)	–	1 (50)	2 (1)
	3	8 (16.67)	6 (12.5)	33 (68.75)	1 (2.08)	48 (24)
	4	23 (19.17)	21 (58.38)	81 (61.36)	9 (81.81)	120 (60)
	5	4 (17.66)	5 (13.17)	11 (8.35)	–	18 (9)
	कुल	38 (100)	38 (100)	132 (100)	11 (100)	199 (100)
बैंक	1	13 (36.11)	14 (28.0)	34 (29.31)	3 (18.75)	30 (29.7)
	2	8 (22.22)	8 (16.0)	19 (16.37)	3 (18.75)	18 (17.82)
	3	5 (13.88)	1 (2.0)	11 (9.48)	2 (12.50)	9 (8.91)
	4	7 (19.44)	20 (40.0)	40 (34.48)	7 (43.75)	34 (33.66)
	5	3 (8.33)	7 (14.0)	12 (10.36)	1 (6.25)	10 (9.9)
	कुल	36 (100)	50 (100)	116 (100)	16 (100)	101 (100)

संकेत—

1— सुविधा शुल्क न देने के कारण

2— अकारण

3— अभ्यर्थन त्रुटि के कारण

4— प्रोजेक्ट रिपोर्ट न तैयार होने के कारण

5— अन्य कारण

प्रस्तुत तालिका में ऋण प्रक्रिया

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-III, Issues-18, YEAR- Dec. -2020

से विलम्ब–स्थल एवं विलम्ब के कारणों का विश्लेषण किया गया है। ऋण प्रक्रिया के अन्तर्गत लाभान्वितों को जिला उद्योग केन्द्र अथवा बैंकिंग स्थलों में विलम्ब हो जाता है। सर्वेक्षित लाभान्वितों में से कुल 220 ने स्वीकार किया कि जिला उद्योग केन्द्रों ने जानबूझ कर देरी से ऋण संस्तुति किया था, इनमें से 52 ने बताया कि अभ्यर्थन सम्बन्धी त्रुटि के कारण ऋण प्राप्त करने में विलम्ब हुआ है, किन्तु इन लाभान्वितों में से सर्वाधिक 65.38 प्रतिशत उच्च जाति के हैं तथा 134 लाभान्वितों द्वारा स्वीकार किया कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट की त्रुटि के कारण विलम्ब हुआ इनमें 60. 45 प्रतिशत उच्च जाति के लाभान्वित हैं। जाति स्तर पर अध्ययन करने में भी 61. 32 प्रतिशत उच्च जाति के लाभान्वितों द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट त्रुटि की सूचना प्राप्त हुई है।

विलम्ब की समयावधि– जिला उद्योग द्वारा ऋण स्वीकृत करने के पश्चात् सम्बन्धित बैंक को प्रेषित कर दिया जाता है, परन्तु इस प्रक्रिया में समय सापेक्ष अध्ययन से ज्ञात होता है कि लाभान्वितों को ऋण प्राप्त करने में समय प्रायः अधिक लग जाता है। सर्वेक्षण के माध्यम से लगभग 86 प्रतिशत लाभान्वितों ने बताया कि ऋण स्वीकृत होने के काद ऋण प्राप्त होने तक लगभग एक माह से सात माह तक लग जाते हैं, किन्तु अधिकांशतः लाभान्वितों द्वारा बताया गया कि ऋण प्राप्त करने में कम से कम पाँच माह का विलम्ब तो निश्चित रूप से होता ही है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. यंग, पी0वी0: साइन्टिफिक सोसल सर्वेज एवं रिसर्च, प्रिन्टिंग हाल ऑफ इण्डिया (प्रा0लि0मि0) न्यू देहली–1959.
2. सेल्टिज, जहोदा एण्ड अदर्सः रिसर्च मैथड्स इन सोसल रिलेनसन्स, रिनेहर्ट एण्ड विन्सटन प्रेस हाल्ट, न्यूयार्क 1963.
3. करलिंगर, एफ0एन0: फाउन्डेसन्स ऑफ बिहेवियरल रिसर्च, रिनेहर्ट एण्ड विन्सटन प्रेस हाल्ट, न्यूयार्क, 1975.
4. आल्फ्रेट, जे0 काहनः दि डिजायन ऑफ सोसालरिसर्च दि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस, शिकागो, 1960.
5. सेम्युअल स्टोफरः दि डिजायन ऑफ सोसल रिसर्च इन सोसलवर्क रिसर्च दि फ्री प्रेस ग्लेनको, 1962.
6. लुण्डवर्ग, जी0ए0: सोसल रिसर्च, ग्रीन एण्ड लॉगमैन, पब्लिसर्श न्यूयार्क 1951.
7. प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रशिक्षण पुस्तिका।
8. प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रोफाइल वर्ष 1998–99 जनपद मैनपुरी।

*****

PIF-7.500 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*